*न्यायाधीश अमोल रतन सिंह  के समक्ष।*

विद्या देवी और अन्य**-** याचिकाकर्ता

बनाम

सुदेश कुमार और अन्य**-** प्रतिवादी

**2017** की सीआर संख्या **3771**

अक्टूबर 06, 2018

भारतीय साक्ष्य अधिनियम***, 1872-***धारा ***65*** और ***66(2)-***द्वितीयक साक्ष्य के लिए आवेदन**-**साक्ष्य अधिनियम की धारा ***66*** के अनुसार जारी की जाने वाली सूचना**-**प्रमुख माध्यमिक साक्ष्य से पहले नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए न्यायालय को दिया गया विवेक**-**जब प्रतिकूल पक्ष को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रकृति का ज्ञान हो तो नोटिस की आवश्यकता नहीं है**-**याचिका खारिज की गई।

माना जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 65 के संदर्भ में माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने से पहले, उक्त प्रावधान के तहत नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए न्यायालय को विवेक प्रदान किया गया है। इसके अलावा, धारा 66 के परंतुक का खंड (2) विशेष रूप से यह मानता है कि विपरीत पक्ष को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब मामले की प्रकृति से, प्रतिकूल पक्ष को पता चल जाएगा कि उसे वसीयत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील एकता ठाकुर।

प्रशांत गुप्ता, अधिवक्ता, सुमन जैन के लिए, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए (2017 के सीआर नंबर 3771 में)।

आदित्य कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए (2018 के सीआर नंबर 2689 में)

अमोल रतन सिंह**,** जे**. (**मौखिक**)**

**2017** की सीआर संख्या **3771**

(1) इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट [(सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चंडीगढ़] के दिनांक 02.05.2017 के आदेश (वाद में वादी) को चुनौती दी, जिसके द्वारा प्रतिवादी-प्रतिवादी, यानी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के आवेदन, उक्त प्रतिवादियों द्वारा उनके पक्ष में स्थापित वसीयत के संबंध में माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की मांग करते हुए,  पक्षकारों के दिवंगत पिता यानी छाजू राम द्वारा फांसी दिए जाने की अनुमति दी गई है।

(2) यहां आक्षेपित किए गए विस्तृत आदेश में यह देखा गया है कि प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत को उनके द्वारा पूर्वोक्त छाजू राम द्वारा निष्पादित दिनांक 08.03.2006 की पंजीकृत वसीयत के रूप में दिखाया गया था, जो पुस्तक संख्या 4392, खंड संख्या 282 के क्रम संख्या 4392 में उसी तारीख को दर्ज किया गया था, अर्थात 08.03.2006,  इसके साथ ही यह भी देखा गया कि यह डीडब्ल्यू मोहन लाल द्वारा साबित किया गया था जो अदालत में गवाह के रूप में पेश हुए थे।

(3) प्रतिवादियों-प्रतिवादियों की दलील, इस आशय की कि मूल वसीयत वादी नंबर 1 (याचिकाकर्ता नंबर 1, यानी पार्टियों की मां) की हिरासत में थी, ट्रायल कोर्ट द्वारा भी देखा गया था।

(4) याचिकाकर्ताओं-वादियों का रुख यह था कि वसीयत के निष्पादन के प्रमाण के अभाव में प्रमुख माध्यमिक साक्ष्य के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था, वादी ने स्वयं वसीयत के अस्तित्व से इनकार किया था, अर्थात यह वास्तव में श्री छाजू राम द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया था, और इसलिए प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा स्थापित की जा रही वसीयत की सत्यापित प्रति, कोई साक्ष्य मूल्य का नहीं था।

(5) यह भी तर्क दिया गया था कि डीडब्ल्यू मोहन लाल ने अदालत की फाइल पर मूल वसीयत नहीं देखी थी और मूल वसीयत के अभाव में, इसे साबित नहीं माना जा सकता था, साथ ही प्रतिवादियों की ओर से फिर से जोर दिया गया कि ऐसी कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी।

(6) प्रतिवादियों ने यह भी आपत्ति जताई कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 66 के संदर्भ में वादी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, धारा 65 के तहत आवेदन माध्यमिक साक्ष्य के लिए बनाए रखने योग्य नहीं था।

(7) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त तर्कों पर विचार करने के बाद, एक निष्कर्ष (प्रतिवादियों के मामले के अनुसार) दर्ज किया, कि वसीयत एक पंजीकृत वसीयत है, जिसकी एक प्रति डीडब्ल्यू -4 राकेश कुमार द्वारा सब-रजिस्ट्रार, यूटी, चंडीगढ़ के कार्यालय के रिकॉर्ड से लाई गई थी, उसी की सत्यापित प्रति पूर्व डीडब्ल्यू -2/1 के रूप में प्रदर्शित की गई थी, माध्यमिक साक्ष्य के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं होगा।

(8) साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के संदर्भ में कोई नोटिस जारी नहीं किए जाने पर उठाए गए विवाद के संबंध में, यह माना गया था कि इस तरह के नोटिस की आवश्यकता उस परिस्थिति में नहीं होगी जहां प्रतिकूल पक्ष जानता था कि वसीयत का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी, [हालांकि वादी (याचिकाकर्ता) आरोप लगा रहे थे कि प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत एक जाली और मनगढ़ंत थी]।

(9) नतीजतन, भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत आवेदन को उस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

(10) इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील सुश्री ठाकुर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाए गए तर्कों को दोहराया है, इस आशय के लिए कि प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत पूरी तरह से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, धारा 66 के संदर्भ में, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(11) वह अपने बयान के समर्थन में चमन लाल बनाम डेविन में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के एक फैसले पर भरोसा करती [1] है, जिसमें से वह विशेष रूप से पैराग्राफ 16 की ओर इशारा करती है जो इस प्रकार है: -

> "वर्तमान मामले में, वसीयत एक नोटिस नहीं है; वादी को वसीयत पेश नहीं करनी चाहिए। सकारात्मक सबूतों से यह संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है कि वादी ने धोखाधड़ी खेलकर मूल वसीयत प्राप्त की है। वादी ने यह स्वीकार नहीं किया कि अदालत में अपने साक्ष्य के समय उसकी मूल वसीयत थी; वादी ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वसीयत कभी खो गई थी; वादी हमेशा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहा था। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के छह अपवादों में से कोई भी प्रतिवादी के समक्ष उपलब्ध नहीं था, जो अधिनियम की धारा 66 के तहत वादी को वसीयत पेश करने के लिए नोटिस की छूट का दावा करता है।

---

[1] 2010 (2) पीएलआर 758

(12) उस मामले में भी (जो नीचे की अदालतों के फैसले और डिक्री के खिलाफ एक नियमित दूसरी अपील थी), वादी-अपीलकर्ता ने संपत्ति के विभाजन और उस संपत्ति में 1/4 हिस्से की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें प्रतिवादियों ने अपने पक्ष में एक वसीयत स्थापित की थी, जिसे पार्टियों के पिता द्वारा निष्पादित किया गया था।

(13) उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 के अनुसार, उस मामले में वसीयत एक अपंजीकृत वसीयत थी, जिसकी एक प्रति भी अदालत में कभी पेश नहीं की गई थी।

(14) मैं यह नहीं देखता कि यह निर्णय किसी भी तरह से वर्तमान मामले की परिस्थिति पर कैसे लागू होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनके द्वारा दायर लिखित बयान की ओर इशारा किया है, जिसका पैराग्राफ 07 इस प्रकार है: -

> "गलत और अस्वीकृत। वादी नंबर 1 को जो आस्था, सम्मान और सम्मान दिया जा रहा है, वह इस तथ्य से स्पष्ट है और घर के शीर्षक, रसीदें, मूल वसीयत आदि के मूल दस्तावेज <u>वादी नंबर 1 की हिरासत में हैं।</u> इसलिए वादी को वर्ष 2003 से वसीयत का ज्ञान हो रहा है। इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है।

(15) इस प्रकार, बहुत स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं का स्टैंड, शुरू से ही, यह रहा है कि मूल वसीयत पहले वादी के पास है, यानी उनकी मां, जिनके पास घर के शीर्षक आदि के सभी मूल दस्तावेज भी थे।

(16) इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं-वादियों ने वसीयत के अस्तित्व से इनकार करते हुए, जिस विवाद के लिए उत्तरदाताओं ने लिखित बयान में विशेष रूप से जवाब दिया है कि यह पहले याचिकाकर्ता-वादी की हिरासत में था, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के साथ इस न्यायालय से पहले भी वसीयत के अस्तित्व से इनकार करते हुए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता, मेरी राय में भी अस्पष्ट खड़ा होगा।

(17) उक्त प्रावधान इस प्रकार है: -

> **"66.** उत्पादन करने के लिए नोटिस के रूप में नियम।- धारा 65, खंड (ए) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस तरह के माध्यमिक साक्ष्य देने का प्रस्ताव करने वाली पार्टी ने पहले उस पार्टी को नहीं दिया है जिसके कब्जे या शक्ति में दस्तावेज है, [या उसके वकील या प्लीडर को,] कानून द्वारा निर्धारित के रूप में इसे पेश करने के लिए ऐसा नोटिस; और यदि कोई नोटिस कानून द्वारा निर्धारित नहीं है, फिर इस तरह के नोटिस के रूप में न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है:
>
> परन्तु ऐसी सूचना की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसी भी मामले में या किसी अन्य मामले में, जिसमें न्यायालय इसे समाप्त करना उचित समझता है, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक नहीं होगा:
>
> (1) जब साबित होने वाला दस्तावेज स्वयं एक नोटिस है;
>
> (2) जब, मामले की प्रकृति से, प्रतिकूल पक्ष को पता होना चाहिए कि उसे इसे पेश करने की आवश्यकता होगी;
>
> (3) जब यह प्रकट होता है या साबित होता है कि प्रतिकूल पक्ष ने धोखाधड़ी या बल द्वारा मूल पर कब्जा कर लिया है;
>
> (4) जब प्रतिकूल पक्ष या उसके एजेंट के पास अदालत में मूल है;
>
> (5) जब प्रतिकूल पक्ष या उसके एजेंट ने दस्तावेज़ के नुकसान को स्वीकार किया है;

(6) जब दस्तावेज रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया की पहुंच से बाहर है, या उसके अधीन नहीं है।

(18) इस प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 65 के संदर्भ में माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने से पहले, उक्त प्रावधान के तहत नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए न्यायालय को विवेक प्रदान किया गया है। इसके अलावा, धारा 66 के परंतुक का खंड (2) विशेष रूप से यह मानता है कि विपरीत पक्ष को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब मामले की प्रकृति से, प्रतिकूल पक्ष को पता चल जाएगा कि उसे वसीयत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(19) ऐसा होने के कारण और प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत की प्रति को भी पंजीकृत किया गया है, उप-रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ (डीडब्ल्यू -4) के कार्यालय के एक क्लर्क की गवाही के अनुसार, मुझे इस याचिका की अनुमति देने का कोई कारण नहीं दिखता है।

(20) नतीजतन, याचिका खारिज कर दी जाती है; लेकिन इस न्यायालय के साथ यह देखने के लिए कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ इस न्यायालय की सभी टिप्पणियां, गवाहों के संबंध में, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा जांच की गई थी, इस स्तर पर केवल माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की मांग करने वाले आवेदन के संदर्भ में अवलोकन होने के लिए, ट्रायल कोर्ट स्वाभाविक रूप से प्रतिवादियों-प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत के समर्थन में ऐसे सभी सबूतों का मूल्यांकन करने के लिए पूरी तरह से अपने गुणों के आधार पर वसीयत की प्रामाणिकता।

**2018** का सीआर नंबर **2689**

(21) यह विवादित नहीं है कि हालांकि यह याचिका एक ही वादी, यानी याचिकाकर्ताओं द्वारा एक ही प्रतिवादी के खिलाफ दायर एक अलग मुकदमे से उत्पन्न हुई है, विषय वस्तु अनिवार्य रूप से एक ही है, अर्थात प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत।

(22) इसलिए, 2017 के सीआर नंबर 3771 में पारित आदेश वर्तमान याचिका पर भी सभी चौकों पर लागू होंगे, जिसके परिणामस्वरूप उसी शर्तों में खारिज कर दिया गया है।

---

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा